चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 22.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 22.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी रणवीर सिंह द्वारा अभियुक्त दयाशंकर पुत्र संतोष निवासी गोडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). आज दिनाँक 22.09.2024 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा थाना पहाड़ी में थाना पहाड़ी एवं थाना राजापुर के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। क्षेत्राधिकारी द्वारा अर्दली रुम के दौरान विवेचकों को गुण दोष के आधार पर विवेचना के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। मुकदमों से सम्बन्धित वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तार की जाये। जनसुनवाई एवं आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
अर्दली रुम के दौरान प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह, चौकी प्रभारी गनीवा श्री यदुवीर सिंह एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अलग-अलग स्थानों से 09 जुआरियों को जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया।
(i). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह, आरक्षी राजेश कुमार, आरक्षी रविन्द्र कुमार द्वारा अरखन पुरवा मनोहरगंज से अभियुक्त 1.रामकरन पुत्र कल्लू कुशवाहा 2.राज कुमार पुत्र बाबू कुशवाहा निवासीगण बान तालाब 3.संतोष पाठक पुत्र जगदीशनारायण निवासी सेठ की बगिया सीतपुर 4.रामनरेश पुत्र महेश प्रसाद निवासी चितरा गोकुलपुर 5.सहजादे पुत्र जलील राईन निवासी मुस्लिम बस्ती सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 9640/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 450 रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना रैपुरा तथा उनकी टीम उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय, मुख्य आरक्षी आशाराम, आरक्षी पवन यादव द्वारा अभियुक्त 1.बाबूराम पुत्र बैजनाथ 3.अभिलाष पुत्र सिद्धगोपाल 4.कमलेश पुत्र सुखदेव निवासीगण रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को ताश के पत्ते पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 350/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते व जामातलाशी से 470/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
(i).उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी शाकिर अली द्वारा मु0अ0सं0 178/2024 धारा 137(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त चुन्नू उर्फ अंशू पुत्र गुल्जार सोनकर निवासी कुसिया पुरवा थाना राजापुर थाना चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी गुड्डू वआरक्षी दीपक द्वारा मु0नं0 281/2011 धारा 138बी विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त चुन्नू द्विवेदी पुत्र रामगुलाम निवासी नांदी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट तथा मु0सं0 871/2014 धारा 406,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त जानकीशरण पुत्र रमा उपाध्याय निवासी कपना-इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iii). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही आऱक्षी अभिषेक प्रताप सिंह, आरक्षी लल्ला प्रसाद, आरक्षी नागेश द्वारा मु0नं0 17/2015 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामनरेश पुत्र रामकेश निवासी अरखनपुर मजरा मनोहरगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iv). उ0नि0 यूटी0 श्री कुंवर प्रखर सिंह चौकी शिवरामपुर तथा उनके हमराही आरक्षी नरेन्द्र कुमार द्वारा मु0नं0 2568/2016 धारा 323,504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रघुराज पटेल पुत्र बुआराम निवासी कस्बा शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(v). उ0नि0 श्री उत्कर्ष कुमार सिंह थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी नरेन्द्र सिंह द्वारा मु0नं0 3264/2015 धारा 323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त रमेश पटेल उर्फ गूंदा पुत्र ननकू पटेल निवासी तरांव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजय बहादुर सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी अमित द्विवेदी द्वारा अभियुक्त अवध बिहारी पुत्र प्रदुम्न सिंह निवासी उसमा थाना अतर्रा जनपद बांदा को 41 क्वार्टर देशी शराब के साथ तथा अभियुक्त सुरिन्दी पुत्र वीरन कोल निवासी पवनिया थाना रमनाबाद जिला कटनी म0प्र0 को 40 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस ने कस्बा मऊ में हुयी चोरी की घटना का खुलासा करते हुये 02 चोरों को चोरी के 6970/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री बालमुकुन्द पुत्र उमेशचन्द्र निवासी मवई कलां थाना मऊ हाल पता कस्बा मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि अज्ञात चोरों ने उनके घर का दरवाजा तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व 50 हजार रुपये नगद चोरी कर लिये हैं। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 274/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा घटना के संज्ञान लेकर घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज को निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज तथा उनकी टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी से आज दिनाँक 22.09.2024 को अभियुक्त पंकज निषाद पुत्र लवकुश निषाद व इन्द्रेश कुमार पुत्र गुलाबचन्द्र निषाद निवासीगण गेरुवा मैदाना कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी से अभियुक्तों के कब्जे से 6970/- रुपये बरामद हुये। अभियुक्तों के कड़ाई से पूंछताछ की गयी तो बताया कि हम लोगों ने हमरे एक अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी की थी जिसमें से 10-10 हजार रुपये हमारे हिस्से में मिले थे तथा हमारा तीसरा साथी कहीं जेवरात बेंचने गया है आकर और रुपया देने का कहा था। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के रुपये बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।
तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.पंकज निषाद पुत्र लवकुश निषाद

2.इन्द्रेश कुमार पुत्र गुलाबचन्द्र निषाद निवासीगण गेरुवा मैदाना कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

चोरी के 6970/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव थाना मऊ

2.उ0नि0 यूटी0 श्री दिव्यांश पाण्डेय

3.आरक्षी राहुल पाण्डेय

4.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय